भारतीय मानक ब्यूरो

लेखा विभाग म्ख्यालय

संदर्भ: लेखा/7:35(२०२१-२२) दिनांक 31.01.2022

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत अधिसूचना, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सी बी डी टी, वितीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए बीआईएस को आयकर छूट के विस्तार के लिए (अधिसूचना संख्या 142/2021 दिनांक 31.12.2021) & शुद्धिपत्र (अधिसूचना संख्या 04/2022 दिनांक 13.01.2022)

यह सी बी डी टी की अधिसूचना संख्या 142/2021 दिनांक 31.12.2021 के संदर्भ में है, जो लेखा विभाग परिपत्र संख्या बी आई एस/मुख्यालय/लेखा/परिपत्र (1)/2022 दिनांक 10.01.2022 द्वारा परिचालित की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, वितीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए बी आई एस की आय कर योग्य नहीं है। इस संबंध में उक्त अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 का शुद्धिपत्र (अधिसूचना संख्या 04/2022 दिनांक 13.01.2022) आयकर विभाग द्वारा जारी, आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

हस्ता/-,

(विनोद कुमार)

उप. महानिदेशक (वित्त)

परिचालित सेवा में भामाब्यूरो इंट्रानेट के माध्यम से :

- म्ख्यालय के सभी उपमहानिदेशक
- सभी उपमहानिदेशक(क्षेत्रीय कार्यालय)
- सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख/सभी शाखा कार्यालय / एनआईटीएस /सभी प्रयोगशालाओं के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभाग प्रमुख
- सभी क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय/केंद्रीय प्रयोगशाला/मुख्यालय में कार्यरत लेखा व वित्त संबंधित अधिकारीगण् / सभी क्षेत्रीय कार्यालय व् प्रयोगशालाओं में कार्यरत अनुभाग अधिकारीगण् एवं सहायक निदेशक(लेखा व् वित्त)

जानकारी के लिए

- महानिदेशक
- अपर महानिदेशक
- मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि

आइटींएस- इंट्रानेट के माध्यम से परिचालित करने हेत्

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (DDGF SECRETARIAT)

Our Ref: Accts/7:35(2021-22) 31st Jan 2022

Sub: Corrigendum (Notification No. 4/2022 dated 13.01.2022) to Notification 142/2021 dated 31.12.2021 under Section 10(46) of Income-tax Act, 1961, GOI, Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT towards extension of Income-Tax Exemption to BIS for Financial Years 2021-22 to 2025-26

This is with reference to Notification No. 142/2021 dated 31.12.2021 of CBDT circulated vide Accounts Department Circular No. BIS/HQ/Accounts/Circular(1)/2022 dated 10.01.2022. **As per this Notification, the income of BIS is not taxable for Financial Year 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 & 2025-26.** In this regard, the corrigendum (Notification No. 04/2022 dated 13.01.2022) issued by Income tax Department to above said notification dated 31.12.2021 is enclosed for necessary action.

sd/-(Vinod Kumar) Dy. Director General (Finance)

Circulated through Intranet

For information & compliance:

- (i) All DDGs at HQ
- (ii) All DDGRs
- (iii) Heads of all BOs/Labs/NITS
- (iv) Heads of all departments at HQ
- v) DD(A&F)/AD(A&F)/SOs of all ROs/BOs

For kind Information:

- DG
- ADG
- CVO

•

Copy to: ITSD for placing on INTRANET

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th January, 2022

- **S.O. 192(E).**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.142/2021 in F.No.300196/4/2021-ITA-I dated 31.12.2021, published in Subsection (ii), Section 3, Part-II, Extraordinary of the Gazette of India *vide* number S.O.1 (E)-
 - (i) In paragraph 3: For "Assessment" read "Financial".

[Notification No. 4 /2022 F.No.300196/4/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232334 CG-DL-E-01012022-232334

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 2022/पौष 11, 1943 No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 2022/PAUSHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 1(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) (पैन: AAATB0431G) को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ उक्त ब्यूरो को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसुचित करती है, नामत:-

- (i) प्रमाणन श्ल्क;
- (ii) मानकों की बिक्री, बशर्ते कोई लाभ अन्तर्ग्रस्त न हो; तथा
- (iii) ब्याज से आय;
- 2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, नामत:-
 - (क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
 - (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेंगी: तथा
 - (ग) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

1 GI/2022 (1)

यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के लिए लागू होगी।
[अधिसूचना सं. 142/2021/फा. सं. 300196/4/2021-आ.क.नि-I]

विकास सिंह, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

- **S.O. 1(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Bureau of Indian Standards (BIS)(PAN:AAATB0431G), set up by the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) in respect of the following specified income arising to that Bureau, namely:-
 - (i) Certification fee;
 - (ii) Sale of standards, provided there is no profit involved; and
 - (iii) Income from interest;
- 2. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-
 - (a) the Bureau of Indian Standards (BIS) does not engage in any commercial activity;
 - (b) the activities and the nature of the specified income of the Bureau of Indian Standards (BIS) remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) the Bureau of Indian Standards (BIS) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be applicable for the Assessment Years 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26.

[Notification No. 142/2021/F. No. 300196/4/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.